रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1987/माघ 30, 1908
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1987/MAGHA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 8-ई टी सी (पी एन)/87

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1987

विषय : -- किरलाक और मुलम्मा का निर्यात ।

फा.स. 1/13/86-ई-1 : --उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना स. 15-ई टी सी (पी एन)/84, दिनांक 19-5-84, सा.सू. सं. 18-ई-टी सी (पी एन)/84, दिनांक 26-6-84 और सा.सू.सं. 20-ई टी सी (पी एन)/85, दिनांक 10-6-85 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. प्रतिबंध मे आंशिक ढील देते हुए यह निश्चय किया गया है कि 1986-87 के दौरान किरलाक और मुलम्मा का निर्यात 300 मी. टन की सीमित मात्रा के भीतर अनुमित किया जाए जो नीचे उल्लिखित वर्गवार न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्तों के अधीन और (1) निर्यात मूल्य जांच स्लिप और (2) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता द्वारा जारी किए गए गुणावस्था प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन है :-

	अधिकतम निर्यात मूल्य (रुपये प्रति मी. टन)
किर-1	15,830/- रु.
किरलाक (जिसमें खाख के तत्व 55 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच के हो)	
किर-2	
किरलाक (जिसमें खाख के तत्व 40 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच के हों)	15,257/- रु.
मुलम्मा-1	
डोगाली/सीडखाख सीविंगस (जिसमें खाख के तत्व 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच के हों और जो 30 छिद्र वाले सिव में से छनते हों)	17,457/-रु.

3. यह सारी मात्रा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता के अधिकार में रखी गई है, जो "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर संगत पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करके निर्यातों को प्राधिकार करेगा और जो (1) निर्यात कीमत जांच स्लिप और (2) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता द्वारा जारी किए गए गुणावस्था प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी ।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 8-ETC (PN)/87

New Delhi, the, 19th February, 1987

Subject : Export of Kirilac and Molamma.

F.No. 1/13/86-E.I.—Attention is invited to Public Notices No. 15-ETC (PN)/84 dated 19th May, 1984, No. 18-ETC (PN)/84, dated 26th June, 1984 and No. 20-ETC(PN)/85 dated 10th June, 1985 on the above subject.

2. In partial relaxation of the ban, it has been decided to allow the export of Kirilac and Molamma within a limited ceiling of 300 MTs during 1986-87 subject to the undermentioned gradewise minimum export prices and also subject to the production of (i) export price scrutiny slip and (ii) quality certificate, issued by the Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

	MEP (Rupees per MT)
KIRI-I	
Kirilac (having lac content between 55% and 65%)	Rs. 15,830
KIRI-II	
Kirilac (having lac content between 40% and 55%)	Rs. 15,297
MOLAMMA-I	
Dogalee/Seedlac selvings (having lac content between 70% and 80% and passing through a 30 mesh seive)	Rs. 17,457

3. The entire quantity is placed at the disposal of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta, who will authorise exports by endorsing relevant shipping bills on first-come, first-served basis subject to the production of (i) export price scrutiny slip and (ii) quality certificate, issued by the Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987